रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/96

REGD. NO D L -33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 169] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 19, 1996/भाद्र 28, 1918
No. 169] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 19, 1996/BHADRA 28, 1918

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना संख्या 376/92—97

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 1996

विषय : राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा नामित राज्य निगमों को निर्यात सदन की हैसियत प्रदान करना ।

फाइल सं. 1/12/6/96-97/पी. सी.-2.—निर्यात और आयात नीति 1992-97 के पैरा 140 ग की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें यह कहा गया है कि संबंधित राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा नामित राज्य निगमों को इस बारे में अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार केवल निर्यात सदन के तौर पर मान्यता दी जा सकती है चाहे नीति के पैरा 138, 139, 139 क, 139 ख और 140 के साथ पठित पैरा 137 में निर्दिष्ट मानदंड को पूरा न किया गया हो। निर्यात सदन हैसियत प्रदान करने के लिए राज्य निगम से प्राप्त आवेदन पर विचार करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी :—

(क) वे राज्य निगम मात्र होंगे जो नीति के पैरा 138, 139, 139 क, 139 ख और 140 के साथ पठित पैरा 137 में निर्दिष्ट सामान्य मानदंडों के अनुसार निर्यात सदन या व्यापार सदन या स्टार व्यापार सदन और सुपर स्टार व्यापार सदन की हैसियत के हकदार नहीं हैं । निर्यात संवर्धन के उद्देश्य से ऐसा निगम राज्य सरकार/केन्द्र शसित प्रदेश द्वारा स्थापित किया जाता है तथा निर्यात सदन हैसियत प्रदान करने के लिए संबंधित राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश द्वारा विशेषत: नामित किया गया हो । यदि इसी प्रकार का निगम निर्यात और आयात नीति [1992—97 के अध्याय-12 में दिए गए मौजूदा मानदंडों के अनुसार निर्यात सदन या व्यापार सदन या स्टार व्यापार सदन के तौर पर पहले से ही मान्यता प्राप्त हो तो उसे नीति के पैरा 140 ग के अनुसार नए सिरे से हैसियत प्रदान नहीं की जाएगी ;

(ख) विचाराधीन हैसियत केवल "निर्यात सदन" तक ही सीमित होगी ;

(ग) सामान्य पात्रता मानदंडों को प्राप्त किए बिना "निर्यात सदन" हैसियत प्रदान करने की उपर्युक्त सुविधा केवल 1-4-1996 से 31-3-1999 तक की अवधि के लिए ही होगी ।

(घ) निर्यात और आयात नीति 1992-97 के पैरा 142 के उपबंध लागू होंगे ।

2. उपर्युक्त अनुसार निर्यात सदन की हैसियत प्राप्त करने के इच्छुक पात्र राज्य निगम, प्रक्रिया पुस्तक 1992—97 के अध्याय-12 में बताई गई प्रक्रिया के अनुसार, उपर्युक्त पैरा 1 (क) के अनुसार संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकार के प्रमाण पत्र सहित अपने आवेदन 31-12-1996 तक प्रस्तुत कर सकते हैं ।

3. इसे लोकहित में जारी किया जाता है ।

श्यामल घोष, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE NO. 376/92—97

New Delhi, the 19th September, 1996

Subject : Grant of Export House status to State corporations nominated by State Governments/Union Territories.

File No. 1/12/6/96-97/PC-II.—Attention is invited to paragraph 140C of the Export & Import Policy 1992—97 as amended, wherein it has been laid down that State Corporations nominated by the respective State Governments/ Union Territories may be recognised as an Export House only, even through the criterion for recognition as laid down in paragraph 137 read with paragraphs 138, 139, 139A, 139B and 140 of the Policy is not fulfilled, in accordance with the procedure to be notified in this procedure. The following procedure shall govern for considering the application received from State Corporation for the grant of Export House status :—

(a) The State corporations eligible shall be the one which are not entitled for Export House of Trading House or Star Trading House and Super Star Trading House status as per the normal criterion laid down in paragraph 137 read with paragraphs 138, 139, 139A, 139B and 140 of the Policy. Such corporation is established by the State Government/Union Territory for the purpose of export promotion and is specifically nominated for grant of Export House status by the respective State Govt./Union Territory. If a similar State Corporation is already recognised as an Export House or Trading House or Star Trading House in accordance with the existing criterion laid down in Chapter XII of the Export & Import Policy 1992—97, then a fresh status shall not be granted in terms of paragraph 140C of the Policy ;

(b) the status to be considered shall be restricted to "Export House" only ;

(c) The above said facility to grant "Export House" status without attaining the normal eligibility criteria shall be only for the period of 1-4-1996 to 31-3-1999.

(d) the provision of paragraph 142 of the Export & Import Policy 1992-97 shall be applicable.

2. The eligible State Corporations desirous of availing the status of Export House as mentioned above may submit their applications by 31-12-1996 in accordance with the procedure laid down in Chapter XII of the Hand Book of Procedures 1992—97 as amended, supported by a certificate from the Government of respective State/Union Territory as mentioned in para 1(a) above.

3. This issues in public interest.

SHYAMAL GHOSH, Director General of Foreign Trade

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996